Medical relief stations on national highways

1776. SHRI V. HANUMANTHA RAO: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether Government have any plans to organise medical relief stations on the National Highways for accident victims;

(b) if so, details thereof;

(c) whether the National Highway Authority has implemented any such medical relief stations on the National Highways;

(d) if so, details thereof?

THE MINISTER OF SURFACE TRANSPORT (SHRI T.G. VENKATRAMAN): (a) and (b) A National Highway patrolling schme was finalised in 1993-94. Under this schems, the State Governments, based on intensity of road accidents, are provided financial assistance for procurement of cranes and ambulances with a view to providing immediate on the spot medical aid to road accidents victims and to remove the broken-down vehicles on the National Highways. So far 11 States have been provided financial assistance to the extent of rupees 25 lakhs under the scheme. During the current year it is proposed to provided such assistance to some more States.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

कालीन बुनकरों के लिए नीति

1777. **श्री इकबाल सिंह:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कालीन का उत्पादन बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा कौन-कौन से उपाय किए गए हैं; और

(ख) देश के विभिन्न एककों के कार्यरत कालीन बुनकरों के लिए सरकार द्वारा बनाए गए कार्यक्रमों और योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर० एल० जालप्पा): (क) देश में कालीन का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय नीचे दिए गए हैं:—

1. उत्पादन आधार को विस्तृत करने के लिए कालीन बुनाई में गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम
2. तकनीकी सहायता, डिजाइन निवेश तथा परीक्षण सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए भदोही (उत्तर प्रदेश) में कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना
3. देश में कालीन ग्रेड ऊनी यार्न की कमी को पूरा करने के लिए 10 प्रतिशत यथामूल्य की दर से नाममात्र आयात शुल्क पर 32 माइक्रोन अथवा उससे अधिक की न्यूज़ीलैंड ऊन का आयात
4. नए कालीन उत्पादक क्षेत्र स्थापित करने के लिए गैर-परम्परागत क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रम

(ख) कालीन बुनकरों के लिए तैयार किए गए कार्यक्रमों तथा योजनाओं के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:—

1. कालीन निर्यात संवर्धन परिषद (सी०ई०पी०सी०) के जरिए करघों का पंजीकरण
2. कालीन बुनकरों के लिए वर्षशेड-सह-आवास योजनाएं
3. सामूहिक बीमा
4. हैल्थ पैकेज स्कीम जिसमें आवास तथा चिकित्सा शामिल है
5. कालीन उद्योग से हटाए गए बच्चों के लिए कालीन क्षेत्रों में गैर-सरकारी संगठनों के जरिए स्कूल खोलना
6. कालीन उद्योग से हटाए गए बच्चों के पुनर्वास तथा कालीन बुनकरों के कल्याण हेतु निर्यात के एफ ओ बी मूल्य के 0.25 प्रतिशत तक निर्यातक सदस्यों के योगदान से कालीन निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा एक कल्याणकारी निधि तैयार की गई है
7. निर्यात किए जाने वाले कालीनों पर "कालीन लेबल" का प्रारम्भ जो बाल श्रम के उन्मूलन के सम्बन्ध में निर्यातकों की वचनबद्धता को दर्शाता है तथा इस प्रकार कालीन उद्योग में गैर कानूनी बाल श्रम के उपयोग पर रोक लगाई जाती है।